न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 328/2016 दायरा दिनांक : 20.09.2016

उनवान

कल्लू पुत्र रोडू, आयु 76 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी कोटडी हाल कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रामशंकर आत्मज रोडू, आयु 58 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी कोटडी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– बाबू लाल आत्मज रोडू, आयु 65 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी कोटडी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– सब रजिस्ट्रार महोदय, छबड़ा, जिला बारां

4– राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 77/2017 दायरा दिनांक : 08.05.2017

उनवान

कल्लू पुत्र रोडू, आयु 73 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी कोटडी, तहसील छबडा, हाल सालपुरा रोड़ कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

बनाम

1— रामशंकर आत्मज श्री रोडू जी, जाति ब्राहमण, निवासी कोटडी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बी एल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 03.02.2021**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 120/2015 एवं 141/2014 व निर्णय दिनांक 23.06.2016 व निर्णय दिनांक 28.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 328/2016 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.06.2016 न्याय नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी कम 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का मेंटेनेबल तथा अवधि बाधित मानते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय कैम्प गूगोर में

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

सुनाया है । जबकि अपीलांट प्रतिवादी क्रम 1 उक्त कैम्प में उपस्थित भी नहीं था, ना अपीलांट प्रतिवादी क्रम 1 के अधिवक्ता ही उपस्थित थे । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र सेटअसाईड बाबत निरस्त करने में त्रुटि की है । जबकि कोई स्पीकिंग आदेश नहीं है । प्रार्थना पत्र कैसे बाधित है । वाद की मिसल भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर तलब नहीं की, ना कोई सम्मन का अवलोकन किया केवल कयास के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि की । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की कोई तामील प्रोपर नहीं करवायी है । अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर सुनवायी नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के हस्ताक्षर भी नहीं है केवल रेस्पोडेंट से मिलकर कार्यवाही की है । विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते ग्राम गूगोर की खसरा नम्बर 129 की 6 बीघा 19 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा है तथा खसरा नम्बर 130 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा में पूरी खातेदारी है जिसका कोई सम्बन्ध रेस्पोडेंट नम्बर 1 का नहीं होते हुए भी एकपक्षीय कार्यवाही कर खाते दर्ज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 30.06.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 77/2017 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेंट के खिलाफ एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम गूगोट, तहसील छबडा में स्थित है । जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा तथा

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

प्रतिवादी नम्बर 1 का 3/4 हिस्सा दर्ज तथा वादी अपीलांट अपने व्यवसाय के सिलसिले में अधिकाश समय कवाई तहसील अटरू में निवास करता है । इसका फायदा उठाकर प्रतिवादी/रेस्पोडेंट नम्बर 1 उसके कब्जे काश्त की भूमि पर व्यवधान उत्पन्न करता है इस कारण से वह समुचित काश्त नहीं कर पाता है । इस कारण से वह वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करवाना चाहता है । इस पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 03.02.2016 को अपना जवाब दावा पेश किया तथा वादी के समस्त तथ्यों को नकारा तथा दिनांक 08.09.2014 को उपखण्ड अधिकारी छबड़ा के निर्णय का हवाला देते हुए वादी का वाद खारिज किये जाने की प्रार्थना की तथा दिनांक 28.06.2016 को अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि आदेश जैर अपील न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं पक्षकार की भूमिका अदा कर आर्बिट्रेटरीतौर पर वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में प्रतिवादी की अनुपस्थिति में वाद खारिज किया है । जबकि अपीलांट को फोलोअप कैम्प की न तो कोई जानकारी थी और ना ही कोई नोटिस वादी को प्राप्त हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील की डिक्री नहीं बनायी जबकि कानून वाद को डिक्री करने एवं खारिज करने की दशा में डिक्री बनाया जाना आवश्यक है । निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून एवं सुनवायी का अवसर दिये बगैर पारित किया गया है जो कानूनन वोईड आदेश है, जिसके लिये मियाद का बिन्दु कोई असर नहीं रखता है, आदेश जैर अपील के प्रथम ज्ञान से धारा 5 मियाद अधिनियम के अनुरूप अपील अन्दर मियाद है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2016 अपास्त किया जाये ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया था तथा अपीलांट को कैम्प की कोई सूचना नहीं दी थी, जिसके कारण जानकारी के अभाव में प्रार्थी का वाद खारिज कर दिया । अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील संख्या 386/2016 में दिनांक 30.06.2014 को उपखण्ड अधिकारी छबडा में पेश, दिनांक 08.09.2014 को फैसला हुआ । हमारी तामील में रजिस्ट्री से कराई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डरशीट में रजिस्ट्री के आदेश नहीं हैं । दावे के पेज नम्बर 2 के पैरा 4 में भूमि खसरा नम्बर 129 की 6 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 11 की 8 बीघा 8 बिस्वा कल्लू पुत्र रोडू के नाम दर्ज किया जावे लिखा हुआ है । आर ए ए का फैसला खसरा नम्बर 11 के सम्बन्ध में है जबकि प्लीडिंग में बंटवारे में देना बताया है । हमने एक्स पार्टी डिक्री सेट डिसाइड कराने के लिए आर्डर 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र लगाया था जिसे खारिज कर दिया गया । हमें सुनकर फैसला किया जावे । अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड की जावे एवं अपील संख्या 77/2017 में हमने दावा अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारा घोषणा का किया था । वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा बाबत । दिनांक 08.09.2014 को एक दावा डिक्री हुआ जो रेस्पोडेंट के पक्ष में डिक्री हुआ । लोक अदालत केम्प दिनांक 28.06.2016 को हमारा दावा खारिज कर दिया । आर्डरशीट में दिनांक 23.06.2016 को हमारी उपस्थिति थी दिनांक 28.06.2016 को रिकार्ड के आधार पर दावा डिक्री कर दिया । अपील के

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

साथ टी आई की आर्डरशीट में भी हमारी उपस्थिति तथा लाईन बढ़ाई हुई है । दाखिल दफ्तर होने के बाद हमारा हिस्सा हमें नहीं मिली । अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.06.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वारा 2016 केम्प गूगोल मजमे आम में पेश होना अंकित किया गया है तथा वादी एवं प्रतिवादी को आवाज दिलवायी जाना व कोई प्रतिवादी उपस्थित नहीं आना अंकित किया गया है । वाद पत्र मजमे आम में पढ़कर सुनाया गया । प्रकरण में पत्रावली लोक अदालत में पेश होना पायी जाती है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें इसके अभाव में दावा एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 328/2016 एवं 77/2017 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 व 28.06.2016 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सी पी सी की पालना करते हुए, गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पावन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.05.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा